(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 498–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–13 पारित द्वारा तहसीलदार, सरकिल बछौन प्रकरण क्रमांक 2/अ–27/11–12.

———

मईयादीन तनय महादेव कोरी
निवासी ग्राम हथौहा तहसील चंदला
जिला छतरपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

शिवराम तनय महादेव कोरी,
निवासी ग्राम हथौहा तह. चंदला
जिला छतरपुर म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/3/15 **को पारित)**

.....

यह निगरानी तहसीलदार, सरकिल बछौन द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–27/11–12. में पारित आदेश दिनांक 25–7–13 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक को पक्षकार बनाया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की । प्रकरण के विचारण के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने से उसे सिविल न्यायालय जाने हेतु 90 दिन के लिए कार्यवाही रोकी जाये । आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने

आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक आपत्ति के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारे में खसरा नंबरों के रकबे को छोटे–2 टुकडों में विभाजित किया गया है जिससे पक्षकार कृषि नहीं कर सकेंगे । संहिता की धारा 178 के तहत कृषि भूमियों का बटवारा चक के आधार से किया जाना चाहिए अऔर अपरिहार्य कारणबस ही किसी नंबर को विभाजित किया जाना चाहिए । पटवारी द्वारा बटवारा फर्द की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई है जबकि सभी सहखातेदारों को सूचना देकर फर्द बटवारा तैयार किया जाना चाहिए । पटवारी द्वारा कार्यवाही अनावेदक को लाभ पहुंचाने के उद्धेश्य से की गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर बटवारा चक के आधार पर किए जाने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही विधिवत तरीके से की जा रही है । अनावेदक जानबूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं होना देना चाहते हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य बंटवारे का यह प्रकरण वर्ष 2006 से चल रहा है । वर्ष 2006 में भी आवेदक ने सिविल कार्यवाही करने हेतु स्थगन मांगा था । अब 2013 में पुनः उसने यही मांग की । यदि उसे सिविल न्यायालय में स्वत्व का निराकरण कराना था तो वर्ष 2006 से अब तक वह इस हेतु सिविल न्यायालय क्यों नहीं गया इसका कोई भी कारण वह बताने में असफल रहा है । स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय 'जाकर स्थगन लाने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल चुका है । अतः तहसीलदार द्वारा उसकी आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक उसके द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं का प्रश्न है उनका निराकरण अभी तहसीलदार द्वारा किया जाना है । इस संबंध में यदि वह

चाहे तो समर्थन में साक्ष्य, प्रस्तुत कर सकता है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधार होने से उपरोक्त observation के साथ समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर